सं.: 1:05:138:1:सीएस
दिनांक : 17.03.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

विषय : <u>सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम की सूचना</u>

महोदया/महोदय,

हमारे दिनांक 11.03.2026 के पूर्ववर्ती पत्राचार के क्रम में, सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल ने आज दिनांक 17.03.2026 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को अनुमोदित किया है :

1. **वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बॉण्ड, सावधि ऋण, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आदि के माध्यम से संसाधन जुटाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	**स्रोत**	**#राशि (अधिकतम)**
(1)	**दीर्घकालिक / मध्यमकालिक ऋण**	
	(क) विभिन्न वित्तीय साधनों के निर्गम के माध्यम से घरेलू मुद्रा में संसाधन जुटाना : (i) पूंजीगत लाभ बॉण्ड [आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अंतर्गत]; तथा (ii) करयोग्य/कर-मुक्त बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा ऋण प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम/निजी नियोजन; स्थायी/ मोचनीय, प्रतिभूति-समर्थित/अप्रतिभूति-समर्थित, संचयी/ गैर-संचयी, ब्याजयुक्त अथवा शून्य-कूपन बॉण्ड, स्थिर/परिवर्ती ब्याज दर वाले बॉण्ड (बेंचमार्क सहित/ बिना), गैर-परिवर्तनीय, अवसंरचना बॉण्ड, अधीनस्थ बॉण्ड, मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड, संरचित ऋण प्रतिभूतियाँ, बाजार-संबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ, हरित, सामाजिक, ईएसजी बॉण्ड अथवा अन्य बॉण्ड/ डिबेंचर/ ऋण प्रतिभूतियाँ, भौतिक एवं/या डीमैट रूप में, अधिकतम 30 वर्ष की अवधि अथवा समय-समय पर लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत अवधि तक, पुट/ कॉल विकल्प सहित अथवा बिना, जारी करना; तथा जिन्हें एनएसई एवं/ अथवा बीएसई में सूचीबद्ध किया जा सकता है।	1,10,000

	(iii) बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ भारत सरकार आदि से सावधि ऋण (दीर्घकालिक/ मध्यम अवधि), जिसमें पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है। (iv) किसी अन्य दीर्घकालिक/ मध्यम अवधि के वित्तीय साधन (साधनों) के माध्यम से घरेलू ऋण।	

	(ख) विभिन्न वित्तीय साधनों के निर्गम के माध्यम से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना : (i) ऋण, जैसे—सावधि ऋण, सिंडिकेटेड ऋण, अधीनस्थ ऋण, एफसीएनआर(बी) ऋण तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण। (ii) बॉण्ड/नोट्स, जैसे—अप्रतिभूति-समर्थित/प्रतिभूति-समर्थित बॉण्ड, स्थायी बॉण्ड, हरित बॉण्ड तथा अधीनस्थ बॉण्ड। (iii) विदेशी मुद्रा ऋणों अथवा रुपए-मूल्यवर्गित विदेशी मुद्रा ऋणों को जुटाने हेतु कोई अन्य वित्तीय साधन। (*वर्तमान विनिमय दर 90.67 पर लगभग 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य।)	20,000*
(2)	**<u>अल्पकालिक ऋण</u>**	
	(क) अल्पकालिक ऋण/ आईसीडी आदि जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से घरेलू मुद्रा ऋण [डबल्यू/सीसी/ओडी आदि सुविधाओं को छोड़कर]। **(ख)** एफसीएनआर(बी) ऋण आदि जैसे साधनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा ऋण	20,000
	(ग) वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से	10,000
	कुल	**1,60,000**

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई तथा पूर्व-भुगतान की गई निधियों को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।

- कंपनी वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के अंतर्गत जुटाई गई निधियों को छोड़कर, ₹1,60,000 करोड़ तक की ऋण ले सकेगी। यह ऋण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा तथा धारा 179(3)(सी) एवं 179(3)(डी) के प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त विवरणानुसार विभिन्न स्रोतों से एक या अधिक किश्तों/ श्रृंखलाओं में जुटाई जा सकेगी।

- निदेशक (वित्त) की सिफारिशों पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एतद्द्वारा यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179(3)(सी) एवं 179(3)(डी) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा के भीतर, वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण योजना के विभिन्न स्रोतों के बीच राशि का पुनर्विनियोजन कर सकें।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य वाले पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों पर ₹3.25/- (रुपए तीन और पच्चीस पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर [अर्थात् 32.50%] की दर से चौथे अंतरिम लाभांश की घोषणा (टीडीएस की कटौती के अधीन)।

   यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चौथे अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से 23.03.2026 (सोमवार) को 'रिकॉर्ड तिथि' माना जाएगा।

उपर्युक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान 16.04.2026 तक अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में करयोग्य है तथा कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करने के लिए बाध्य है। तथापि, यदि कोई शेयरधारक चाहता/ चाहती है कि उसके लाभांश पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कम दर से कर काटा जाए अथवा कोई कर न काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने पैन की स्कैन प्रति, प्रपत्र 15जी/15एच तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित लिंक पर प्रस्तुत करने होंगे : -

https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0

23.03.2026 के पश्चात कर निर्धारण अथवा कम दर पर कर कटौती से संबंधित किसी भी अनुरोध/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान दिया जाए कि सूचीबद्धता विनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, अब लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, चेक अथवा डिमांड वारंट जैसे भौतिक साधनों के माध्यम से लाभांश भुगतान की पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि लाभांश की निर्बाध एवं समयबद्ध जमा सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन कर लें, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

• **डीमैट रूप में धारित शेयरों के लिए :** सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते में बैंक खाते का विवरण पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें तथा डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

• **भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए :** सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) से संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने संबंधित फोलियो में केवाईसी एवं बैंक खाते का विवरण अद्यतन कराएं।

निदेशक मंडल की बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रारंभ हुई तथा अपराह्न 2:15 बजे समाप्त हुई।

सूचना आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com